

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली

दिनांक: -

11-19087-99

संख्या: -

MAR-1999

संस्था: -

महंत Laxmi Chand and Sons
66/57, New Rohtak Road,
11th Floor,
Delhi

दिनांक: 28.3.95

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (यथासंशोधित) की धारा-2
अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन शामिल
पंजीकरण

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम
की धारा-153 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अधिनियम सं. 12-1984 दिनांक
1-2-52 के अन्तर्गत तंत्र राज्य क्षेत्र दिल्ली विभाग के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन शामिल
तथा फ्रेजरियों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबन्धों की लागू किया गया है।
आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सरकार में
अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा-1151
के अधीन अन्य स्थापनाओं पर नीचे उल्लिखित तारीख से किया है।

स्थापनाओं का विस्तार

अधिनियम सं.
तथा तारीख

क. रा. बी. मा. ए. ए. ए.
योजना के विस्तार
की तारीख

1. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई परिसर उसके उप क्षेत्रों सहित में जहाँ दस अथवा इससे अधिक लेकिन किसी भी देश में 20 से कम व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे तथा उनके किसी भी भाग में विपुल शक्ति की सहायता से असाधारणता या विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है।

सं. 27/12/75-लेब. 29.3.75
28.3.75

2. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई व्यक्ति परिसर में नियोजित हैं अथवा नियोजित था तथा उसके किसी भी भाग में विपुल शक्ति की सहायता से असाधारणता या विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है।

3. निम्नलिखित स्थापनाएँ जहाँ पिछले 12 महीनों के दौरान किसी तारीख को 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे जैसे:-

- 1. होटल 2. रेस्तरा
- विपुल शक्ति विनिर्माण

4. तड़प मोटर परिपहन
5. तमाचार पत्र स्थापनाएं
6. हुकाने

एफ 27121/74-मैव 28.3.76
दिनांक 26.3.76
एफ-28121/88/आई, एम. पी. लैव: 2. 10.88
दिनांक 30.9.88 ए-58021-11

अधिनियम की धारा-21क। के अधीन ऐसी किसी फेक्टरी/स्थापना की अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराना आवश्यक है पहा उनके अध्यापन के अनुसार नियोजक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मियों को अधिनियम में संश्लि करारें तथा अधिनियम के अधीन उनके संबंध में अधिनियम की अधिनियम को

आपके द्वारा आपकी फेक्टरी/स्थापना के संबंध में अधिनियम अधिनियम तद्वित दिनांक 27/12/88 को बीमा निरीक्षण/स्थानीय कार्यालय प्रबन्धक द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर आपकी फेक्टरी/स्थापना तारीख 27/12/88 से अधिनियम के अधिनियम की धारा 2112 व 1151 के अधीन अस्ती है लेकिन बाद के तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी फेक्टरी/स्थापना उपरिलिखित तारीख से पहले की किसी तारीख से उपर्युक्त अधिनियम में अधिनियम की जाननी थी तो आप ऐसी पहले की तारीख से अधिनियम के उपर्युक्त का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

आपसे अनुरोध है कि अपनी फेक्टरी/स्थापना की अधिनियम के अधीन शामिल किए जाने की तारीख से अपने कर्मचारियों को पंजीकरण करवाने घोषणा पत्र भरने तथा अंशदान का भुगतान करने रिकार्ड के अवरक्षण आदि के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करें। सुविधा की दृष्टि से आपकी स्थापना को कोड संख्या 11-19087-99 ... आबंक्ति की गई है इस कार्यालय को भेजे गए सभी पत्रों में तथा फार्मों में निदिष्ट स्थानों पर इस कोड सं 0 का प्रयोग करें। K.L. Patil, P.A.S.J. पर लिखत स्थानीय कार्यालय को आपके कर्मचारियों के पंजीकरण के संबंध में आपको आवश्यक सहायता देने के अनुरोध दे दिए गए हैं। यदि कोई कठिनाई हो तो आप कृपया उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय के प्रबन्धक से संपर्क करें जो मामले में आपकी अपेक्षित सहायता करेगा। निवेदन है कि आप अपनी फेक्टरी/स्थापना में राज्य बीमा अधिनियमों की संग्रह सूची का प्रचार करें ताकि आपके कर्मचारी अपने राज्य बीमा अधिनियमों का चुनाव कर सकें। सभी अपेक्षित फार्म आदि उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय में प्रेषित करें, उक्त कार्यालय के साथ आपके सभी कर्मचारी संबंध किए जायें।

कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान स्वीकार करने वाली बैंक की शाखाओं की सूची संग्रह है। आप कृपया अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक बैंक का चुनाव करके और उसकी सूचना इस कार्यालय तथा भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा को भेज दें। आप केवल इसी शाखा में कर्मचारी राज्य बीमा राशि का भुगतान करें। यदि पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो आपके द्वारा जित्त शाखा में राशि जमा कराई जायगी उसी शाखा को आपकी फेक्टरी/स्थापना की नामांकित शाखा मान लिया जाएगा।

निम्न कार्यकारी भूषण कार्य को निरताने में तथा कर्नाटी राज्य डीमा
 अगिनियम 1948 की बाधकताओं को पातन करने में आपकी ली अडिगपु डर
 तमब तदासा करे तया मुझे विचोत है कि अत्र अनी डीरते डीमाकारी राज्य
 डीमा अडिनियम के उबुडन्यों तथा दिनियमों का तडिरता है और तमय एउ
 पातन करे। आपते यह भी अनुरोध है कि ली प्रकर के डीमा डीमा-01 विरिषुत
 भरकर इस डायतिय को तत्काल अजेने की ड्या करे।

तिलरन:-

भारतीय,

[Handwritten Signature]

कुते डेनीय निदेश

Code No. 11-19087-99

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को प्रेषित

1. स्थानीय कार्यालय K. Lohan Bani
2. डीमा शाख-7 डेनीय कार्यालय, दिल्ली
3. हितलाभ ड्या-4, डेनीय कार्यालय दिल्ली
4. डीमा निरीषर श्री/श्रीमती..... पडाम संख्या..... 15
 दिल्ली को इस निदेश के साथ प्रेषित डिया डीमा है कि वह इस
 डेनीय की अन्तम ड्याडि की तारीख को डेनीय निधारित
 करने की ड्या करे।
5. गार्ड फाइल

C-6

[Handwritten Signature]
 19x102

डीमा डीमा डीमा
 डीमा डीमा डीमा
 डीमा डीमा डीमा

कुते डेनीय निदेश

[Handwritten Signature]
 RAJENDAR PARSAD
 Asstt. Accounts Officer
 I.H.B.A.S.
 Govt. of N.C.T. of Delhi

For: D & SONS

[Handwritten Signature]